



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 3, बुधवार, शाके 1935—सितम्बर 25, 2013
Asvina 3, Wednesday, Saka 1935—September 25, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2013

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2013:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 38)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में जल संसाधनों को विनियमित करने, जल संसाधनों के उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय प्रबंध, आबंटन और उपयोग को सुकर बनाने और सुनिश्चित करने, पीने के, कृषिक, औद्योगिक, और अन्य प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग के लिए दरें नियत करने के लिए राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम की भिन्न-भिन्न धाराओं के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.-(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “कुल बल्क जल हकदारी” से, बल्क जल हकदारियों के संयुक्त प्रबंध के प्रयोजन के लिए जल उपयोक्ता निकायों के किसी समूह या संगम को जारी की गयी हकदारियों का योग अभिप्रेत है;
- (ख) “आबंटन” से वार्षिक या मौसमी तौर पर, उस मौसम या वर्ष के लिए उप-बेसिन, नदी बेसिन, परियोजना या भंडारण सुविधा के भीतर उस कालावधि के भीतर-भीतर जल की उपलब्धता पर; और जल संकट या कमी के दौरान आनुपातिक हकदारी के सिद्धान्त पर आधारित, किसी हकदारी के धारक को उपलब्ध कराया जाने वाला, विहित प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी हकदारी का भाग या प्रतिशत अभिप्रेत है;
- (ग) “प्राधिकरण” से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) “बोर्ड” से धारा 14 के अधीन गठित राज्य जल बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) “बल्क जल हकदारी” से उपयोग के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग या प्रवर्गों के लिए, किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उद्भूत, और हकदारी मंजूर करने वाले आदेश में यथा विनिर्दिष्टतः उपबंधित कालावधि के भीतर-भीतर परिदेय सतही जल संसाधनों के हिस्से की आयतनमूलक हकदारी अभिप्रेत होगी;

- (च) “उपयोग का प्रवर्ग” से भिन्न-भिन्न प्रयोजनों जैसेकि घरेलू, कृषिक, सिंचाई, कृषि आधारित उद्योग, औद्योगिक या वाणिज्यिक, पर्यावरणीय इत्यादि के लिए जल का, उपयोग अभिप्रेत होगा और इसमें ऐसे अन्य प्रयोजन सम्मिलित हैं, जो विहित किये जायें;
- (छ) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ज) “परिषद्” से धारा 15 के अधीन गठित राज्य जल परिषद् अभिप्रेत है;
- (झ) “हकदारी” से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग करने हेतु प्राधिकरण द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना अभिप्रेत है;
- (ञ) “सरकार” या “राज्य सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) “व्यष्टिक जल हकदारी” से, बल्क जल हकदारी या किसी कुल बल्क जल हकदारी से भिन्न, जल का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाना अभिप्रेत है;
- (ठ) “एकीकृत राज्य जल योजना” से राज्य जल परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई जल योजना अभिप्रेत है;
- (ड) “सिंचाई परियोजना” से, परियोजना रिपोर्टों या इस संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित आदेशों के अनुसार कमान क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी कोई परियोजना अभिप्रेत है;
- (ढ) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है, और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (ण) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों भीतर-भीतर या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (त) “विहित प्राधिकारी”से, जल संसाधन प्रबंध प्रणाली के भीतर-भीतर विभिन्न स्तरों पर ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी प्रणाली में उपलब्ध जल के कोटा

या मात्रा को प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से जारी हकदारियों के आवंटित प्रतिशत के रूप में उपयोग के लिए वार्षिक या मौसमी आधार पर अवधारित और घोषित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है;

- (थ) "परियोजना स्तर का निकाय" से, किसी जल संसाधन परियोजना के भीतर-भीतर किसी सामान्य प्रदाय स्रोत से समस्त जल उपयोक्ताओं का समूह अभिप्रेत है;
- (द) "प्राथमिक विवाद निपटारा अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन जल हकदारी जारी किये जाने या प्रदान के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रत्येक नदी बेसिन के लिए सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई सक्षम अधिकारी अभिप्रेत है/हैं;
- (ध) "कोटा" से, किसी हकदारी के धारक को उपलब्ध कराये गये जल की आयतनमूलक मात्रा, जो किसी हकदारी को वार्षिक या मौसमी आवंटन प्रतिशत से गुणा करने पर व्युत्पन्न होती है, अभिप्रेत है;
- (न) "चयन समिति" से धारा 5 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;
- (प) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (फ) "राज्य जल नीति" से राज्य की जल नीति अभिप्रेत है;
- (ब) "उप-बेसिन" से राज्य के भीतर किसी नदी बेसिन की कोई हाइड्रोलोजिकल इकाई या उप-हाइड्रोलोजिकल इकाई अभिप्रेत है;
- (भ) "अधो-धरातलीय हकदारी" से सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में किसी नलकूप, बोर-कुएं या अन्य कुएं से या अधो-धरातलीय जल निकालने के किसी भी अन्य साधन द्वारा निकाले जाने वाले या प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् और वैध रूप से अनुज्ञात, रजिस्ट्रीकृत और संनिर्मित किसी समूह या क्षेत्र या कुओं

से निकाले जाने वाले जल की आयतनमूलक मात्रा की व्यष्टिक या बल्क जल हकदारी अभिप्रेत है;

- (म) "जनोपयोगी सेवा" से घरेलू या नगरपालिक जल प्रदाय, जिसमें उद्योगों के लिए उपयोग किया जाने वाला जल सम्मिलित है, के प्रबंध, उपचार और वितरण के लिए उत्तरदायी कोई जल उपयोक्ता निकाय अभिप्रेत है;
- (य) "आयतनमूलक" से भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों के अनुसार आयतन के आधार पर जल का माप अभिप्रेत है;
- (यक) "जल उपयोक्ता निकाय" से कोई भी जल उपयोक्ताओं का संगम, जनोपयोगी सेवा, औद्योगिक उपयोक्ताओं का संगम, अन्य उपयोक्ताओं का संगम या कोई भी अन्य समूह, जिसे किसी जल हकदारी को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है; और
- (यख) "जल उपयोक्ताओं के संगम" से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम सं. 21) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित कृषक संगठन अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो राज्य में विभिन्न सिंचाई या जल संसाधनों से संबंधित अधिनियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं।

अध्याय 2

राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण

3. प्राधिकरण की स्थापना और निगमन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण के नाम से, उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और समनुदेशित किये गये कृत्यों और कर्तव्यों के पालन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्राधिकरण उपरोक्त नाम से निगमित एक निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसको जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति की संविदा, अर्जन, धारण और व्ययन करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त बातें करने की शक्ति होगी और जो अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(4) प्राधिकरण, अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(5) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य धारा 5 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

4. प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और विशेष आमंत्रित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अर्हता.- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और विशेष आमंत्रित को निम्नलिखित प्रकार से नियुक्त किया जायेगा:-

(क) अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के प्रमुख सचिव के पद से अनिम्न पद का अधिकारी रह चुका हो और जिसे जल संसाधन के क्षेत्र में नीति निर्धारण तथा प्रशासन का अनुभव हो;

(ख) एक सदस्य, जिसे जल संसाधन के क्षेत्र का कम से कम 20 वर्ष के अनुभव के साथ राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियन्ता के पद का कार्य करने का भी अनुभव हो;

(ग) एक सदस्य जल संसाधन अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थशास्त्र, वित्त अथवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा;

(घ) राज्य के प्रमुख बेसिनों से तीन विशेष आमंत्रित व्यक्ति वे होंगे, जो नीतिगत विनिश्चय करने में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए अभियांत्रिकी, कृषि, पेयजल,

उद्योग, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त या प्रबंध से संबंधित समस्याओं से निपटने में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव रखते हों या साबित क्षमता रखते हों; और

(ड.) राज्य की वृहद परियोजना के सिंचित क्षेत्र से दो जन प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया जायेगा, जो नीतिगत विनिश्चय करने में प्राधिकरण की सहायता करेंगे।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा।

5. चयन समिति का गठन और कृत्य.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-

- | | |
|---|---------------------|
| (क) राज्य का मुख्य सचिव | पदेन अध्यक्ष; |
| (ख) सचिव, योजना विभाग | पदेन सदस्य; |
| (ग) सचिव, जल संसाधन विभाग | पदेन सदस्य-सचिव; और |
| (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विशेषज्ञ। एक विशेषज्ञ जल संसाधन अभियांत्रिकी के क्षेत्र से और दूसरा जल संसाधन अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होगा। | सदस्य |

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और कोई प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है जब वह विभाग का प्रभारी हो।

(2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण होने वाली किसी रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर और अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवार्षिकी या उसकी

पदावधि की समाप्ति से छह मास पूर्व, उस रिक्ति को भरने का चयन समिति को निर्देश करेगी।

(3) चयन समिति, उस तारीख से एक मास के भीतर-भीतर, जिसको उसे उप-धारा (2) के अधीन निर्देश किया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति, उसको निर्दिष्ट की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिए तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने से पूर्व, चयन समिति अपना यह समाधान करेगी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई भी नियुक्ति चयन समिति में किसी भी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें.- (1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, कार्यालय में अपना पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य को पुनः नियुक्त किया जा सकेगा, किन्तु निरंतर दो अवधियों से अधिक के लिए नहीं:

परन्तु यह और कि कोई भी अध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जायें।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा, जो विहित किया जाये।

(5) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य,-

- (क) राज्यपाल को तीन मास से अन्यून अवधि का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या
- (ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा।

(6) अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में पद धारण न करने की स्थिति में,-

- (क) उसके ऐसे पद पर न रहने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए सरकार के अधीन आगे नियोजन के लिए अर्हित नहीं होगा;
- (ख) उसके ऐसे पद पर न रहने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई भी वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (i) “सरकार के अधीन नियोजन” में राजस्थान के राज्यक्षेत्र के भीतर-भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन नियोजन सम्मिलित है;
- (ii) “वाणिज्यिक नियोजन” से जल संसाधन सेक्टर में व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के अधीन, या उसकी एजेंसी की किसी भी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है और इसमें किसी कंपनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार भी सम्मिलित है और इसमें या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या परामर्शी के रूप में व्यवसाय करना भी सम्मिलित है।

7. सदस्य का हटाया जाना.- (1) प्राधिकरण के किसी भी सदस्य को, उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा

इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी जांच के पश्चात्, इस रिपोर्ट पर कि उस सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए, साबित किये गये कदाचार के आधार पर राज्यपाल के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जायेगा।

(2) राज्यपाल, किसी भी सदस्य के विरुद्ध उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट जांच की कालावधि के दौरान प्राधिकरण के ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसा अन्य सदस्य,-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका हो; या
- (ख) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है, जिसमें, सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या
- (ग) शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या
- (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर चुका है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।

(4) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सदस्य को खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि सरकार ने उसके द्वारा इस निमित्त विहित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की गयी जांच करके यह रिपोर्ट न कर दी हो कि उस सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

8. प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने की सरकार की शक्ति और उनकी सेवा शर्तें.- (1) प्राधिकरण, अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों

का पालन करने के लिए, जैसाकि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक सचिव नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह इसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(3) सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अवधारित की जायें।

(4) सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

(5) ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति की कालावधि पांच वर्ष होगी, सिवाय तब जबकि ऐसे व्यक्ति का ऐसे आधारों, जैसेकि पदोन्नति, प्रतिवर्तन, सेवा की समाप्ति, अधिवाषिकी या किसी भी ऐसे अन्य कारणों से संप्रत्यावर्तन किया जाना अपेक्षित न हो:

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रखे गये कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी, भत्ते, सेवानिवृत्ति, पेंशन, भविष्य निधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित समस्त मामले राजस्थान सिविल सेवा नियमों, या ऐसे अन्य नियमों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जायें, विनियमित होंगे।

(6) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(7) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्राधिकरण द्वारा संदत्त किये जायेंगे।

(8) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं के निबंधन और शर्तें प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले उन पर लागू होने वाले सेवा के निबंधनों और शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(9) प्राधिकरण, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें, प्राधिकरण की अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा।

9. प्राधिकरण की कार्यवाहियां.- (1) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे और वह इसकी बैठकों में गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, इसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में, ऐसे सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी जिसे ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाये।

(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले समस्त प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के बराबर रहने की स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(4) उप-धारा (3) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(5) प्राधिकरण के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा, या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(6) विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य, प्राधिकरण की किसी बैठक के विचार-विमर्श में भाग ले सकेंगे किन्तु ऐसी बैठकों में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और गणपूर्ति का भाग भी नहीं होंगे।

(7) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट तकनीकी मामलों पर इसकी सहायता या सलाह के लिए, निर्देश के ऐसे निबंधनों पर, जो वह आवश्यक समझे, समितियां गठित कर सकेगा।

10. रिक्तियों इत्यादि से कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना.- प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां प्राधिकरण में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं की जायेंगी।

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य

11. प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य.- प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (क) उपयोग के विभिन्न प्रवर्गों के लिए हकदारियों का वितरण अवधारित करना और उपयोग के प्रत्येक प्रवर्ग में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जायें, जल की हकदारियों का साम्यापूर्ण वितरण;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये विनिश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन करना;
- (ग) जल संसाधन परियोजना में उपलब्ध जल के साम्यापूर्ण वितरण की प्राथमिकता अवधारित करना, कमी की कालावधियों में उप-बेसिन और नदी बेसिन के स्तर अवधारित करना;
- (घ) जल टैरिफ प्रणाली स्थापित करना और हिताधिकारी जनता के विचारों को अभिनिश्चित करने के पश्चात् सिंचाई और पेय जल दोनों के लिए जल प्रभारों के लिए ऐसे मानदण्ड नियत करना जो इस सिद्धान्त पर आधारित हों कि जल प्रभारों में प्रदाय प्रणाली की कमियों को हिसाब में लेने के पश्चात् जिससे कि कमियों की लागत हिताधिकारी से वसूल नहीं की जाये, प्रचालन और रखरखाव की लागत की पूरी वसूली दर्शित हो सके;
- (ङ) राज्य की नदी प्रणाली पर अन्तर-राज्य जल संसाधन प्रभाजन का प्रशासन और प्रबंध करना;
- (च) उप-बेसिन स्तर और नदी बेसिन स्तर पर प्रस्तावित जल संसाधन परियोजनाओं का यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन करना और यह स्पष्ट करना कि कोई प्रस्ताव एकीकृत राज्य जल योजना और आर्थिक, जल विज्ञान और पर्यावरणीय जीवन-क्षमता को ध्यान में

रखते हुए और जहां सुसंगत हो, अधिकरणों, करारों या अन्तर-राज्य हकदारियों को अन्तर्वर्तित करने वाली डिक्रियों के अधीन राज्य के दायित्वों के अनुरूप है;

- (छ) जल की कमी होने की स्थिति में, प्राधिकरण, ऐसी कमी के आबंटन के लिए अपनी नीति और नियमों के पालन में, समस्त हकदारियों को उपलब्ध करवायी जाने वाली जल की मात्राओं का समायोजन करेगा और उपयोक्ताओं और उपयोक्ताओं के प्रवर्गों के बीच जल हकदारियों का अस्थायी अंतरण अनुज्ञात करेगा;
- (ज) धरातलीय और अधो-धरातलीय जल को सम्मिलित करते हुए, राज्य के जल संसाधनों के लिए विनियामक प्रणाली स्थापित करना, इस जल के उपयोग को विनियमित करने के लिए, राज्य के जल के उपयोग की हकदारी का जल का उपयोग करने वाले प्रवर्गों के बीच प्रभाजन करना;
- (झ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल का वास्तविक उपयोग, मात्रा और उपयोग का प्रकार, दोनों में प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी हकदारियों के अनुरूप पालन करते हुए किया जा रहा है, जल के उपयोग के लिए हकदारियों के प्रवर्तन, मानीटर करने और माप के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;
- (ञ) राज्य और अन्य राज्यों के बीच अन्तर-राज्य जल के प्रभाजन से संबंधित राज्य के दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य जल नीति से संगत रीति से राज्य के भीतर जल संसाधनों का उपयोग और प्रशासन, करना;
- (ट) जल के दक्षतापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना और जल की छीजत को न्यूनतम करना और उपयोग के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए युक्तियुक्त उपयोग की कसौटी नियत करना;

- (ठ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के भीतर जल प्रबंध और प्रदान प्रणालियों का वहनीय प्रचालन और रखरखाव किसी भी प्रकार से संकट में न पड़े, यह अवधारित और सुनिश्चित करना कि उपयोग के प्रवर्गों के बीच सरकार द्वारा दी जा रही पारस्परिक सहायकियां, यदि कोई हों, ऐसी पारस्परिक सहायकियों या सरकारी संदायों से स्थिर निधि प्रदान द्वारा पूर्ण रूप से सन्तुलित की जाती हैं;
- (ड) ऐसा राज्य जल हकदारी डाटा बेस विकसित करना, जिसमें राज्य के भीतर जल के उपयोग के लिए जारी की गयी समस्त हकदारियां, हकदारियों के कोई भी अंतरण और उन हकदारियों के परिणामस्वरूप किये गये प्रदानों और उपयोगों का अभिलेख स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जायेगा;
- (ढ) व्यापक सूचना डाटा बेस के विकास, रखरखाव और प्रसार को सुकर बनाना और सुनिश्चित करना;
- (ण) प्राधिकरण, प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात्, जल प्रभारों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण कर सकेगा;
- (त) प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि सरकार द्वारा सिंचाई प्रास्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाये। ऐसी रिपोर्ट में जिला-वार सृजित की गयी सिंचाई संभावना और उसके वास्तविक उपयोग के संबंध में ब्यौरों सहित सिंचाई से संबंधित समस्त सांख्यिकीय आंकड़े अन्तर्विष्ट होंगे;
- (थ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जल सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा मानक विहित करना और इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (द) जल का पुनःचक्रण और पुनःउपयोग निर्धारित मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित करना; और
- (ध) जल राशियों के अतिक्रमण पर संपूर्ण प्रतिबंध अधिरोपित और सुनिश्चित करना।

12. प्राधिकरण की सामान्य नीतियां.- (1) प्राधिकरण, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अनुसार कार्य करेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य जल नीति के अनुसार राज्य के लिए एक व्यापक जल-मौसमी विज्ञान डाटा प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए समस्त सुसंगत राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

(3) प्राधिकरण, राज्य जल नीति के अनुसार, संपूर्ण राज्य में सुस्थ जल संरक्षण और प्रबंधन पद्धतियों का प्रोन्नयन और कार्यान्वयन करेगा।

(4) प्राधिकरण, सुसंगत राज्य एजेंसियों से निकट समन्वय करते हुए, राज्य के भीतर जल की गुणवत्ता की वृद्धि और परिरक्षण का समर्थन करेगा और सहायता देगा और ऐसा करने में "प्रदूषणकर्ता संदाय करेगा" के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

(5) प्राधिकरण, परियोजना स्तर, उप-बेसिन स्तर पर निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर कोटा नियत करेगा:-

(क) परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में जल के समान वितरण के लिए, कमाण्ड क्षेत्र में प्रत्येक भू-धारक को उसकी भूमि सिंचित करने के लिए कोटा दिया जायेगा;

(ख) कमाण्ड क्षेत्र में भूमि के आधार पर कोटा नियत किया जायेगा:

परन्तु जल की कमी की कालावधि के दौरान प्रत्येक भू-धारक को, जहां तक संभव हो, कम से कम एक एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त कोटा दिया जायेगा; और

(ग) जिन वृहद परियोजनाओं का वाटर अलाउन्स राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, प्राधिकरण उसमें बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बदलाव नहीं कर सकेगा।

(6) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा "पीछे से लेकर आगे तक" सिंचाई का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जाये।

(7) (क) प्राधिकरण राज्य के सूखा संभाव्य क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा तथा भूजल के

पुनर्भरण के लिये योजनाओं एवं तकनीकी को प्रोत्साहित करेगा।

- (ख) प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि सूखा संभावित जिले को उपलब्ध करवायी गयी निधियां, वरीयता से ऐसे क्षेत्रों में खर्च की जायें, जहां सिंचाई सुविधाएं उस जिले के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हैं।

13. प्राधिकरण और विवाद निपटारा अधिकारी की शक्तियां.-

प्राधिकरण और विवाद निपटारा अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने या कोई भी कार्यवाहियां आरंभ करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी भी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और उसे पेश किया जाना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति;
- (घ) किसी भी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनरीक्षण करना; और
- (छ) कोई भी अन्य मामला, जो विहित किया जाये।

अध्याय 4

राज्य जल योजना

14. राज्य जल बोर्ड.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम राज्य जल बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग अध्यक्ष;

(ख)	प्रभारी मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	पदेन सदस्य;
(ग)	राज्य का मुख्य सचिव	पदेन सदस्य;
(घ)	प्रमुख सचिव, योजना विभाग	पदेन सदस्य;
(ङ)	निदेशक/आयुक्त, जल ग्रहण विकास विभाग	पदेन सदस्य;
(च)	सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य;
(छ)	सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग	पदेन सदस्य;
(ज)	सचिव, कृषि विभाग	पदेन सदस्य;
(झ)	सचिव, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	पदेन सदस्य;
(ञ)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ। एक विशेषज्ञ जल संसाधन अभियांत्रिकी क्षेत्र से और दूसरा जल संसाधन अर्थव्यवस्था क्षेत्र से होगा।	पदेन सदस्य; और
(ट)	सचिव, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य- सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है जब वह किसी विभाग का/की प्रभारी हो।

(3) बोर्ड, राज्य जल संसाधन योजना विभाग द्वारा बेसिन और उप-बेसिन-वार तैयार और प्रस्तुत की गयी योजनाओं के आधार पर एक एकीकृत राज्य जल योजना प्रारूप तैयार करेगा।

(4) बोर्ड, अपने प्रथम एकीकृत जल योजना प्रारूप को, उस तारीख से जिससे इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी उपबंध लागू किया जाता है, छह मास के भीतर-भीतर परिषद् के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(5) बोर्ड, उप-धारा (3) में उल्लिखित एकीकृत राज्य जल योजना प्रारूप को तैयार करते समय, राज्य जल नीति के नीतिनिर्देशों पर विचार करेगा।

(6) बोर्ड अपनी बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा, जो बोर्ड का अध्यक्ष विनिश्चित करे और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाये।

(7) बोर्ड, दीर्घकालीन आवश्यकता के आधार पर, जल संसाधन, प्रबंध और जल के आबंटन पर एक विजन दस्तावेज तैयार करेगा और इसकी रिपोर्ट परिषद् को भेजेगा।

15. राज्य जल परिषद्- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक परिषद् गठित करेगी जिसका नाम राज्य जल परिषद् होगा।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष;
(ख) प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन उपाध्यक्ष;
(ग) प्रभारी मंत्री, इंदिरा गांधी नहर विभाग	पदेन सदस्य;
(घ) प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग	पदेन सदस्य;
(ङ) प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग	पदेन सदस्य;
(च) प्रभारी मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य;
(छ) प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग	पदेन सदस्य;
(ज) प्रभारी मंत्री, योजना विभाग	पदेन सदस्य;
(झ) प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग	पदेन सदस्य;
(ञ) प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग	पदेन सदस्य;
(ट) प्रभारी मंत्री, पर्यावरण विभाग	पदेन सदस्य;
(ठ) राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य;
(ड) सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग	पदेन सदस्य;

और

(ढ) सचिव, जल संसाधन विभाग

पदेन सदस्य-
सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है जब वह किसी विभाग का/की प्रभारी हो।

(3) परिषद्, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एकीकृत राज्य जल योजना के प्रारूप को उसको प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक समझे जायें, अनुमोदन करेगी।

(4) एकीकृत राज्य जल योजना का पुनर्विलोकन परिषद् द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् किया जा सकेगा।

(5) परिषद् की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी, जो परिषद् का अध्यक्ष विनिश्चित करे और परिषद् ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाये।

(6) अंतिम अनुमोदन के पश्चात्, एकीकृत राज्य जल योजना, क्रियान्वयन के लिए जल विनियामक प्राधिकरण को भिजवायी जायेगी।

अध्याय 5

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्टें

16. प्राधिकरण को अनुदान और अग्रिम.- राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकरण को ऐसे अनुदान और अग्रिम दे सकेगी जो वह, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और दिये गये समस्त अनुदान और अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे जो राज्य सरकार अवधारित करे।

17. प्राधिकरण का बजट.- प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, प्राधिकरण की

प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को अग्रेषित करेगा।

18. प्राधिकरण के लेखे.- (1) प्राधिकरण समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों में की जायेगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय, प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार और उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखों की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार को सामान्यतया प्राप्त होते हैं और, उसे विशेष रूप से प्राधिकरण की पुस्तकों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजों को पेश करने की मांग करने का और प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किये जायेंगे और राज्य सरकार इस संपरीक्षा रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

19. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट.- (1) (क) प्राधिकरण, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सार देते हुए, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेंगी;

(ख) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में एक उपाबंध सम्मिलित होगा जिसमें जिला-वार बुआई क्षेत्र सिंचाई संभाव्यता के समतुल्य राज्य औसत रबी,

राज्य सेक्टर और स्थानीय सेक्टर स्कीमों से सिंचाई संभाव्यता के समतुल्य मानक रबी, बुआई क्षेत्र की सिंचाई संभाव्यता का प्रतिशत, राज्य औसत से कम प्रतिशत, नवीनतम वर्ष, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए हैक्टियर में बैकलोग, और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष राज्य औसत के आधार पर निकाला गया भौतिक बैकलोग और दरों की नवीनतम अनुसूची पर आधारित वित्तीय बैकलोग अन्तर्विष्ट होगा;

(ग) ऐसी रिपोर्ट में, सिंचाई सेक्टर पर उपगत जिलेवार और क्षेत्रवार वार्षिक व्यय और उस नवीनतम वर्ष तक, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष संचयी संख्या दर्शित करने वाला उपाबंध भी सम्मिलित होगा; और

(घ) खण्ड (ख) और (ग) के उपाबंध के ब्यौरे राज्यपाल के नीतिनिदेशों के अनुसार समय-समय पर उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, इसके प्राप्त होने के पश्चात् छह मास के भीतर-भीतर राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय 6

विविध

20. विवाद और अपील.- (1) सरकार इस निमित्त जारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन जल हकदारी के जारी किये जाने या प्रदान से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए, प्राथमिक विवाद निपटारा अधिकारी के रूप में किसी भी सक्षम अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत करेगी।

(2) प्राथमिक विवाद निपटारा अधिकारी, विवादों की सुनवाई करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाये।

(3) प्राथमिक विवाद निपटारा अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से साठ दिवस के भीतर-भीतर प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकरण साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान

हो जाता है कि व्यथित व्यक्ति के पास साठ दिवस की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(4) प्राधिकरण अपीलों की सुनवाई करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाये।

21. सरकार द्वारा निदेश.- (1) सरकार, लोकहित से अन्तर्वलित नीति के मामलों में, प्राधिकरण को ऐसे लिखित साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुसरण करने और इन पर कार्रवाई करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसा कोई भी निदेश लोकहित से अन्तर्वलित नीति के मामले से संबंधित है तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. जल हकदारी को निलंबित करने की शक्ति.- यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि राज्य या उसके किसी भाग में पेयजल की वास्तविक समस्या है तो सरकार, ऐसी कालावधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी, किसी भी नोटिस या प्रतिकर के बिना जल हकदारी को निलंबित करने के लिए सशक्त होगी।

23. प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना.- प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सरकार या प्राधिकरण या सरकार के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी भी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

25. इस अधिनियम के अधीन आदेशों के अननुपालन के लिए दण्ड.- जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या

निदेश का, ऐसे समय के भीतर-भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, अनुपालन करने में विफल रहता है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के लिए उत्प्रेरण करता है तो प्रत्येक अपराध के संबंध में ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो वार्षिक जल प्रभार के दस गुना तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

26. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय, जब अपराध कारित किया गया था, कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी उस अपराध की दोषी समझी जायेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगी और तदनुसार दंडित की जायेगी:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए.-

- (i) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

- (ii) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है, और व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है।

27. अपराधों का शमन.- (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध के लिए या तो कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, ऐसे अपराध के लिए आरोपित किसी व्यक्ति से, अपराध के शमन के रूप में, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माने की रकम से अन्यून और अधिकतम जुर्माने की रकम के दुगने से अनधिक राशि, राज्य सरकार के अनुमोदन से, स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी राशि के संदाय पर, जो उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, उसी अपराध के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी, और कोई भी कार्यवाही यदि पहले से ही की जा चुकी है या आरंभ की जा चुकी है तो उसका उपशमन हो जायेगा और, अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो तो मुक्त कर दिया जायेगा।

28. अपराध का संज्ञान.- कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किये गये लिखित परिवाद के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

29. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे

गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

30. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले सभी या उनमें से किन्हीं मामलों के लिए और साधारणतया, ऐसे सभी मामलों के लिए, जिनके लिए प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक हो, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियमों के बनाये जाने के लंबित रहते, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुसरण किये जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण, प्राधिकरण द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए किया जायेगा।

31. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, ऐसा अवसर आते ही, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 25, 2013

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Jal Sansadhan Viniyamak Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 38):—

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN WATER RESOURCES REGULATORY

ACT, 2012

(Act No. 38 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of September, 2013]

An

Act

to provide for the establishment of the Rajasthan Water Resources Regulatory Authority to regulate water resources within the State of Rajasthan, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and utilization of water resources, fix the rates for use of water for drinking, agriculture, industrial, and other purposes, and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Water Resources Regulatory Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different areas and for different sections of this Act.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "aggregate bulk water entitlement" means an aggregate of entitlements issued to a group or association of water user entities for the purpose of joint management of the bulk water entitlements;
- (b) "allocation" means the portion or percentage of an entitlement declared annually or seasonally by the prescribed authority to be made available to the holder of an entitlement based upon the availability of water for the period within the sub-basin, river basin, project or storage facility for that season or year; and during water crisis or scarcity on the principle of proportionate entitlement;
- (c) "Authority" means the Rajasthan Water Resources Regulatory Authority established under section 3;
- (d) "Board" means the State Water Board constituted under section 14;
- (e) "bulk water entitlement" shall mean the volumetric entitlement to a share of the surface water resources produced by a project, river system or storage facility, for a specific category or categories of use, and deliverable within a specific period of time as specifically provided in the order granting the entitlement;
- (f) "category of use" shall mean use of water for different purposes such as for domestic, agricultural irrigation, agro-based industries, industrial or commercial, environmental, etc., and includes such other purposes as may be prescribed;

- (g) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
- (h) "Council" means the State Water Council constituted under section 15;
- (i) "entitlement" means any authorization by an authority prescribed by the Authority to use the water for the purposes of this Act;
- (j) "Government" or "State Government" means the Government of Rajasthan;
- (k) "individual water entitlement" means any authorization by the Authority to use the water other than bulk water entitlement or an aggregate bulk water entitlement;
- (l) "Integrated State Water Plan" means a water plan approved by the State Water Council;
- (m) "irrigation project" means a project constructed to provide irrigation facilities to the land situated in the command area in accordance with the project reports or orders in this regard, as revised from time to time;
- (n) "Member" means a Member of the Authority and includes the Chairperson;
- (o) "prescribed" means prescribed by the rules or regulations made under this Act;
- (p) "prescribed authority" means any authority at various levels within the water resource management system that has been duly authorized by the Authority to determine and declare, on an annual or seasonal basis, the quota or amount of water available within a system for use as an allocated percentage of the entitlements duly issued by the Authority;

- (q) "project level entity" means a group of all water user entities, from a common supply source within a water resources project;
- (r) "Primary Dispute Resolution Officer" means any competent officer or officers authorized by the Government by general or special order for each river basin, to resolve the disputes with regard to the issuance or delivery of water entitlement, under this Act;
- (s) "quota" means a volumetric quantity of water made available to an entitlement holder, which is derived by multiplying an entitlement by the annual or seasonal allocation percentage;
- (t) "Selection Committee" means a Selection Committee constituted under section 5;
- (u) "State" means the State of Rajasthan;
- (v) "State Water Policy" means the Water Policy of the State;
- (w) "sub-basin" means a hydrologic unit, or hydrologic sub-unit of a river basin within the State;
- (x) "sub-surface entitlement" means an individual or bulk water entitlement to a volumetric quantity of water to be extracted in the command area of the irrigation project from a tube-well, bore-well or other well or by any other means of extraction of sub-surface water, or a group or field or wells duly and legally permitted, registered and constructed in accordance with standards prescribed by the Authority;
- (y) "utility" means any water user entity responsible for the management, treatment and distribution of domestic or municipal water supplies including water used for industries;

- (z) "volumetric" means a measurement of water on the basis of volume as per the norms of the Bureau of Indian Standard;
- (za) "water user entity" means any water users' association, utility, industrial users' association, other users' association or any other group which is authorized by the Authority to receive and utilize a water entitlement; and
- (zb) "water users' association" means the Farmers Organizations as defined in clause (f) of section 2 of the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation System Act, 2000 (Act No. 21 of 2000).

(2) Words and expressions used and not defined in this Act but defined in various irrigation or water resources related Acts in the State shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER - II

Rajasthan Water Resources Regulatory Authority

3. Establishment and incorporation of Authority.- (1)

The State Government shall within three months from the date of commencement of this Act, by notification in the Official Gazette, establish an Authority to be known as the Rajasthan Water Resources Regulatory Authority to exercise the powers conferred on, and to perform the functions and duties assigned to, it under this Act.

(2) The Authority established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to contract, acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to do all things necessary for the purposes of this Act, and may sue or be sued by its corporate name.

(3) The head office of the Authority shall be at Jaipur.

(4) The Authority shall consist of a Chairperson and two other Members.

(5) The Chairperson and the other Members of the Authority shall be appointed by the Governor of Rajasthan on the recommendation of the Selection Committee constituted under section 5.

4. Qualification for appointment of Chairperson, other Members and special invitees of Authority.- (1) The Chairperson, the Members and special invitees of the Authority shall be appointed as follows:-

- (a) The Chairperson shall be a person who has been an officer not below the rank of Principal Secretary to the State Government and has experience of policy formulation and administration in water resources sector;
- (b) one member shall be a person having experience of at least 20 years in water resources sector including experience as Chief Engineer in Water Resources Department of State Government;
- (c) one Member shall be expert from the field of Water Resources economy, agriculture economics, finance or economics;
- (d) three special invitees from major basins of the State, who are having adequate knowledge, experience or proven capacity in dealing with the problems relating to engineering, agriculture, drinking water, industry, law, economics, commerce, finance or management for assisting the Authority in taking policy decisions; and
- (e) two special invitees from amongst elected public representatives from command areas of major projects of the State for assisting the Authority in taking policy decisions.

(2) The Chairperson or any other Member of the Authority shall not hold any other office.

5. Constitution and functions of Selection Committee.-

(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, for the purposes of sub-section (5) of section 3, constitute a Selection Committee consisting of,-

- (a) the Chief Secretary [of the State] ex-officio Chairperson;
- (b) the Secretary, Planning Department ex-officio Member;
- (c) the Secretary, Water Resources Department ex-officio Member-Secretary; and
- (d) two Experts to be nominated by the State Government. One expert shall be from the field of water resources engineering and another shall be from the field of water resources economy Member.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, the expression "Secretary" means the Secretary to the Government in charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in charge of a department.

(2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or any Member, and six months before the superannuation or end of tenure of Chairperson or any Member, make a reference to the Selection Committee for filling up of the vacancy.

(3) The Selection Committee shall finalize the selection of the Chairperson and Members within one month from the date on which the reference is made to it under sub-section (2).

(4) The Selection Committee shall recommend a panel of three names for every vacancy referred to it.

(5) Before recommending any person for appointment as the Chairperson or other Member of the Authority, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any conflict of financial or other interest which may affect prejudicially, his functions as a Member.

(6) No appointment of the Chairperson or other Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

6. Term of office, salary and allowances and other conditions of service of Chairperson and Members of Authority.- (1) The Chairperson or other Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:

Provided that the Chairperson or the other Member may be reappointed but for not more than two consecutive terms:

Provided further that no Chairperson or other Member shall hold office after he has attained the age of sixty five years.

(2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and other Members shall be such as may be prescribed.

(3) The salary and allowances and other conditions of service of the Chairperson and other Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(4) The Chairperson and every Member shall before entering upon his office make and subscribe to an oath of office and of secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or any Member may,-

- (a) relinquish his office by giving in writing to the Governor notice of not less than three months; or
- (b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 7.

(6) The Chairperson or any Member ceasing to hold office as such shall,-

- (a) not be eligible for further employment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and
- (b) not accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

Explanation.- For the purposes of this sub-section,-

- (i) "employment under the Government" includes, employment under any local or other authority within the territory of Rajasthan or under the control of the Government or under any corporation or society owned or controlled by the Government;
- (ii) "commercial employment" means employment in any capacity under, or agency of, a person engaged in trading, commercial, industrial or financial business in the Water Resources Sector and also includes a director of a company or a partner of a firm and also includes setting up practice either independently or as a partner of a firm or as an advisor or a consultant.

7. Removal of Member.- (1) Subject to the provisions of sub-section (3), any Member of the Authority shall be removed from his office by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour after the State Government, has, on an inquiry, held in accordance with the procedure prescribed in this behalf, reported that the Member, ought on any such ground to be removed.

(2) The Governor may, during the period of inquiry as specified in sub-section (1), against any Member, suspend such Member of the Authority.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may, by order, remove from office, the Chairperson

or any other Member, if the Chairperson or such other Member, as the case may be,-

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as Chairperson or Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson or Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no Member shall be removed from his office on the ground specified in clause (d) or clause (e), unless the Government has, on an inquiry, held by it in accordance with such procedure as prescribed in this behalf by the Government reported that the Member ought on such ground or grounds to be removed.

8. Power of Government to depute officers and employees to Authority and their service conditions.- (1) The Authority may appoint a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson and as may be specified by regulations.

(2) The Authority may, with the prior approval of the Government, appoint such number of officers and employees as it considers necessary for the performance of its duties and functions.

(3) The salaries and allowances payable to, and other conditions of service of the Secretary, officers and employees shall be such as may be determined by rules made under this Act.

(4) The Government may, in consultation with the Authority, appoint any Government officer or employee on deputation to the Authority.

(5) The period of deputation of any such officer or employee to the Authority shall be five years except when any such person is required to be repatriated on the grounds, such as promotion, reversion, termination, superannuation or any such other reasons:

Provided that during the period of such deputation all matters relating to the pay, leave, allowances, retirement, pension, provident fund and other conditions of service of the employees on deputation shall be regulated by the Rajasthan Civil Services Rules or such other rules as may, from time to time, be made by the State Government.

(6) No officer or employee on deputation to the Authority shall be entitled to any deputation allowance.

(7) The salaries and allowances of officers or employees on deputation to the Authority shall be paid by the Authority.

(8) Save as otherwise provided in this section, the terms and conditions of services of employees on deputation to the Authority shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage except with the previous sanction of the State Government.

(9) The Authority may appoint consultants required to assist the Authority in the discharge of its functions on such terms and conditions as may be determined by regulations.

9. Proceedings of the Authority.- (1) The Authority shall meet at such time and places as the Chairperson may direct and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings including the quorum at its meetings as may be determined by regulations.

(2) The meetings of the Authority shall be presided over by the Chairperson and, in his absence, by such Member as may be chosen by the Members present at such meeting.

(3) All questions that come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the Members

present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson or the person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), every Member shall have one vote.

(5) All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Authority duly authorized by the Chairperson in this behalf.

(6) Special Invitee Members may take part in deliberations in a meeting of the Authority but shall not be entitled to vote at such meetings and shall also not form part of the quorum.

(7) The Authority may, with approval of the State Government, constitute committees, with such terms of reference as it may consider necessary, to assist or advise it on specific technical matters.

10. Vacancies, etc. not to invalidate act or proceedings.-

No act or proceedings of the Authority shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Authority.

CHAPTER - III

Powers, Functions and Duties of the Authority

11. Powers, functions and duties of the Authority.-The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to determine the distribution of entitlements for various categories of use and the equitable distribution of entitlements of water within each category of use on such terms and conditions as may be prescribed;
- (b) to enforce the decisions or orders issued under this Act;
- (c) to determine the priority of equitable distribution of water available at the water resource project, sub-basin and river basin levels during periods of scarcity;

- (d) to establish a water tariff system, and to fix the criteria for water charges both for irrigation and drinking water after ascertaining the views of the beneficiary public, based on the principle that the water charges shall reflect the full recovery of the cost of the operation and maintenance after duly accounting for the inefficiencies of the delivery system so that the cost of inefficiencies are not passed on to the beneficiary;
- (e) to administer and manage inter-state water resources apportionment on river systems, of the State;
- (f) to review and clear water resources projects proposed at the sub-basin and river basin level to ensure that a proposal is in conformity with Integrated State Water Plan and also with regard to the economic, hydrologic and environmental viability and where relevant, on the State's obligations under Tribunals, Agreements, or Decrees involving inter-state entitlements;
- (g) in the event of water scarcity, the Authority, in compliance with its policy and rules for allocating such scarcity, shall adjust the quantities of water to be made available to all entitlements and shall permit the temporary transfer of water entitlements between users and categories of users;
- (h) to establish regulatory system for the water resources of the State, including surface and sub-surface waters, to regulate the use of these waters, apportion the entitlement to the use of the water of the State between water using categories;
- (i) to establish a system of enforcement, monitoring and measurement of the entitlements for the use of water to ensure that the actual use of water, both in quantity and type of use are in compliance with the entitlements as issued by the Authority;

- (j) to administer the use and entitlement of water resources within the State in a manner consistent with the State Water Policy to ensure the compliance of the obligation of State with regard to the apportionment of inter-state waters between the State and other States;
- (k) to promote efficient use of water and to minimize the wastage of water and to fix reasonable use criteria for each category of use;
- (l) to determine and ensure that cross-subsidies between categories of use, if any, being given by the Government are totally offset by stable funding from such cross-subsidies or Government payments to assure that the sustainable operation and maintenance of the water management and delivery systems within the State are not jeopardized in any way;
- (m) develop the State water entitlement data base that shall clearly record all entitlements issued for the use of water within the State, any transfers of entitlements and a record of deliveries and uses made as a result of those entitlements;
- (n) to facilitate and ensure development, maintenance and dissemination, of a comprehensive hydro-meteorological information data base;
- (o) the Authority may review and revise the water charges after every three years;
- (p) the Authority may ensure that the Irrigation Status Report is published by the Government every year. Such report shall contain all statistical data relating to irrigation including details in respect of district-wise irrigation potential created and its actual utilization;
- (q) to prescribe service standards for the service providers of water with prior approval of the Government and ensure compliance of these standards;

- (r) to ensure re-cycling and re-use of water as per prescribed standards; and
- (s) to impose and ensure complete ban on encroachment on water bodies.

12. General policies of the Authority.- (1) The Authority shall work according to the framework of the State Water Policy.

(2) The Authority shall, in accordance with the State Water Policy, co-ordinate with all relevant State agencies to implement a comprehensive hydro-meteorological data system for the State.

(3) The Authority shall, in accordance with the State Water Policy, promote and implement sound water conservation and management practices throughout the State.

(4) The Authority shall support and aid the enhancement and preservation of water quality within the State in close co-ordination with the relevant State agencies and in doing so the principle of "polluter pays " shall be followed.

(5) The Authority shall fix the quota at project level, sub-basin level, on the basis of the following principles:-

- (a) for equitable distribution of water in the command area of the project, every landholder in the command area shall be given quota to irrigate his land only;
- (b) the quota shall be fixed on the basis of the land in the command area:

Provided that during the water scarcity period each landholder shall, as far as possible, be given quota adequate to irrigate at least one acre of land [.]
and

- (c) in case of existing major projects, the Authority shall not change the water allowance which have already been approved by the State Government, without prior approval of the Government.

(6) The Authority shall ensure that the principle of "tail to head" irrigation is implemented by the concerned authorities.

(7) (a) The Authority shall strive to make the water available to the drought prone areas of the State and encourage schemes and technology for recharge of ground water;

(b) The Authority shall ensure that the funds made available to a drought prone district are spent preferably in the areas, where irrigation facilities are less than the other areas of that district.

13. Powers of Authority and Primary Dispute Resolution Officer.-The Authority and the Primary Dispute Resolution Officer shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under this Act, have the powers as are vested in a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

- (a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) the reception of evidence on affidavits;
- (d) the requisition of any public record;
- (e) the issue of commission for examination of witnesses;
- (f) review its decisions, directions and orders; and
- (g) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER - IV

State Water Planning

14. State Water Board.- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Board to be known as the State Water Board for the purposes of this Act.

(2) The Board shall consist, of the following Members, namely:-

- (a) the Minister Incharge, Water Resources Department Chairperson;

- (b) the Minister Incharge Indira Gandhi Nahar Department ex-officio Member;
- (c) the Chief Secretary of the State ex-officio Member;
- d) the Principal Secretary, Planning Department ex-officio Member;
the Director/Commissioner,
- (e) Watershed Development Department ex-officio Member;
the Secretary, Public Health
- (f) Engineering Department ex-officio Member;
the Secretary, Command Area
- (g) Development Department ex-officio Member;
- (h) the Secretary, Agriculture Department ex-officio Member;
- (i) the Secretary, Indira Gandhi Canal Project Department ex-officio Member;
- (j) two Experts nominated by the State Government. One expert shall be from the field of water resources engineering and another shall be from the field of water resources economy ex-officio Member; and
- (k) the Secretary, Water Resources Department ex-officio Member-Secretary.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, the expression "Secretary" means the Secretary to the Government in charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in charge of a department.

(3) The Board shall prepare a draft Integrated State Water Plan on the basis of basin and sub-basin wise water plans prepared and submitted by State Water Resources Planning Department.

(4) The Board shall submit its first draft Integrated State Water Plan to the Council for its approval within six months from the date on which any of the provision of this Act is made applicable in the State.

(5) The Board shall, while preparing the draft Integrated State Water Plan mentioned in sub-section (3), consider the directives of the State Water Policy.

(6) The Board shall meet at such time and place as the President of the Board may decide and shall follow such procedure as may be prescribed.

(7) The Board shall prepare a Vision Document on Water Resources, Management and Allocation of water on the basis of long term requirement and submit its report to the Council.

15. State Water Council.- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Council to be known as the State Water Council for the purposes of this Act.

(2) The council shall consist of the following Members, namely:-

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| (a) | the Chief Minister | ex-officio President; |
| (b) | the Minister Incharge,
Water Resources
Department | ex-officio Vice-
President;; |
| (c) | the Minister Incharge,
Indira Gandhi Nahar
Department | ex-officio Member; |
| (d) | the Minister Incharge,
Agriculture Department | ex-officio Member; |
| (e) | the Minister Incharge,
Rural Development and
Panchayati Raj Department | ex-officio Member; |
| (f) | the Minister Incharge,
Public Health Engineering
Department | ex-officio Member; |
| (g) | the Minister Incharge,
Finance Department | ex-officio Member; |

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| (h) | the Minister Incharge,
Planning Department | ex-officio Member; |
| (i) | the Minister Incharge,
Urban Development
Department | ex-officio Member; |
| (j) | the Minister Incharge,
Industries Department | ex-officio Member; |
| (k) | the Minister Incharge,
Environment Department | ex-officio Member; |
| (l) | the State Minister, Water
Resources Department | ex-officio Member; |
| (m) | the Secretary, Command
Area Development
Department | ex-officio Member;
and |
| (n) | the Secretary, Water
Resources Department | ex-officio Member-
Secretary. |

Explanation.- For the purpose of this sub-section, the expression "Secretary" means the Secretary to the Government in charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is incharge of a department.

(3) The Council shall approve, with such modifications as deemed necessary, the draft of the Integrated State Water Plan submitted by the Board within a period of six months from the date of submission of the plan.

(4) The Integrated State Water Plan may be reviewed after every five years from the date of its approval by the Council.

(5) The Council shall meet at such time and place as the President of the Council may decide and shall follow such procedure as may be prescribed.

(6) After final approval, the Integrated State Water Plan shall be sent to the Water Regulatory Authority for implementation.

CHAPTER - V

Accounts, Audit and Reports

16. Grants and advances to Authority.-The State Government may, after appropriation duly made by the State Legislature, by law in this behalf, make such grants and advances to the Authority as it may deem necessary for the performance of its functions and discharge of its duties under this Act; and all grants and advances made shall be on such terms and conditions as the State Government may determine.

17. Budget of Authority.- The Authority shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the Government.

18. Accounts of Authority.- (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Accountant General.

(2) The accounts of the Authority shall be audited by the Accountant General at such interval as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General.

(3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

(4) The accounts of the Authority, as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government by the Authority and the State Government shall cause the audit report to be laid, within a period

of six months from the date of its receipt, before the State Legislature.

19. Annual report of Authority.- (1) (a) The Authority shall prepare once every year in such form, and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the State Government;

(b) Such annual report shall include an annexure containing irrigation backlog of each district based on the State average Rabi equivalent irrigation potential district wise sown area, standard Rabi equivalent irrigation potential from State sector and local sector schemes, percentage of irrigation potential to the sown area, percentage less than the State average, backlog in hectares for the latest year for which the data is available, and every year thereafter, physical backlog worked out on the basis of State average and financial backlog based on the latest schedule of rates;

(c) Such report shall also include annexure showing district wise and region wise yearly expenditure incurred on the Irrigation Sector and cumulative figures upto latest year for which data is available and every year thereafter; and

(d) The details of annexure at clauses (b) and (c) may be modified in accordance with the Governor's directives, from time to time.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, within six months, after it is received, before the State Legislature.

CHAPTER - VI

Miscellaneous

20. Disputes and appeals.- (1) The Government shall by general or special order issued in this behalf authorize any competent officer or officers as Primary Dispute Resolution Officer, to resolve the disputes with regard to the issuance or delivery of water entitlement, under the Act.

(2) The Primary Dispute Resolution Officer shall follow such procedure as may be prescribed while hearing the disputes.

(3) Any person aggrieved by an order of the Primary Dispute Resolution Officer may, within sixty days from the receipt of such order, prefer an appeal to the Authority:

Provided that the Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days if it is satisfied that the aggrieved person had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period of sixty days.

(4) The Authority shall follow such procedure while hearing the appeals as may be prescribed.

21. Directions by Government.- (1) The Government may issue to the Authority such general or special directions in writing in the matters of policy involving public interest and the Authority shall be bound to follow and act upon such direction.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the Government thereon shall be final.

22. Power to suspend water entitlement.- In case the State Government is of the view that there is an acute drinking water problem in the State or a part thereof the Government shall be empowered to suspend the water entitlement for a period to be decided by the State Government without any notice or compensation.

23. Members, officers and other staff of Authority to be public servants.- The Chairperson, Members, officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

24. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or the Authority or any officer of the Government or any Members, officer or other employees of the Authority for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

25. Punishment for non-compliance of orders under this

Act.- Whoever fails to comply with any order or direction given under this Act, within such time as may be specified in the said order or direction or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions of this Act or any rules or regulations made there under shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine, which may extend to ten times of the annual water charges or, with both in respect of each offence.

26. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time, when the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (i) "company" means a body corporate and includes firm, association of persons or body of individuals whether incorporated or not;

- (ii) "director" in relation to firm, means a partner in the firm, and in relation to any association of persons or body of individuals, means any member controlling the affairs thereof.

27. Compounding of offences.- (1) The Authority may, either before or after the institution of the proceedings for any offence punishable under this Act, with the approval of the State Government, accept from any person charged with such offence, by way of composition of the offence, a sum not less than the amount of the maximum fine and not more than double the amount of the maximum fine for the offences punishable by or under this Act.

(2) On payment of such sum as may be determined by the Authority or the State Government or any officer authorized by the State Government under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the accused person in respect of the same offence, and any proceedings if already taken or initiated shall stand abated, and the accused person, if in custody, shall be discharged.

28. Cognizance of offence.- No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by the Authority or by any other officer duly authorized by the Authority for this purpose.

29. Powers of Government to make rules .- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of

such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done thereunder.

30. Powers of Authority to make regulations.- (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder, for all or any of the matters to be provided under this Act by regulations and generally for all other matters for which provision is, in the opinion of the Authority, necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions under this Act.

(2) Pending making of the regulations by the Authority with the approval of the State Government, the rules and procedures followed by the Water Resources Department shall, *mutatis mutandis*, be followed by the Authority for carrying out its functions.

31. Powers to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.